प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 05/2023
अनवान : –

1. वेद पुत्र हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. हरदत पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
2. मंजू पुत्री हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
3. सीता पुत्री हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्री हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 25/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 151/148 की कुंल 3.8300है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 वादीगण का पिता है तथा वयोवृद्ध व्यक्ति है तथा प्रतिवादीया स0 2 ता 4 वादीगण की बहिने है जो की उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग बाद हक त्याग वाद भूमि केवल वादीगण के हकक हिस्सा की भूमि है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:09 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 7 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा ललानाबास जेतासरी खाता स0 151/148 ईएक्सपी–1, मृत्यु प्रमाण पत्र सरबती ईएक्सपी–2, पारिवारिक समझौता राजीनामा ईएक्सपी–3, सरपंच ग्राम पंचायत ललानाबास दिखनादा सदस्य प्रमाण पत्र–4, शपथ पत्र सदस्य प्रमाण पत्र ईएक्सपी–5, जमाबंदी सम्वत् 2048 रोही मौजा ललाना बास जैतासरी ईएक्सपी–6, आदि पेश किये। वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया रोही मौजा ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर के खाता स0 151/148 की 3.8300है0 भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वह वेद पुत्र हरदत व बलवीर पुत्र हरदत के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि में वेद पुत्र हरदत व बलवीर पुत्र हरदत बहिब काबिज है। पक्षकारान इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाना चाहते है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा व वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 151/148 की कुंल 3.8300है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 151/148 की कुंल 3.8300है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 05/2023

अनवान : –

1. वेद पुत्र हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. हरदत पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
2. मंजू पुत्री हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
3. सीता पुत्री हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्री हरदत जाति जाट निवासी ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 05 सन 2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललाना बास जैतासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 151/148 की कुंल 3.8300है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:09 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–